

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| आदेश की क्रम सं० व तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-121 / 2020-21

1. मनीरुद्दीन अंसारी
2. अब्बास अंसारी,
3. इल्ताफ अंसारी, तीनों पे०-श्री इमाम अली, सा०-बुण्डू,
पो०+थाना-बुण्डू, जिला-राँची।.....अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, बुण्डू, राँची, झारखण्ड।
2. सरीफन बीबी, पति-श्री इमाम, सा०-बुण्डू,
पो०+थाना-बुण्डू, जिला-राँची।.....विपक्षी।



आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थियों ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-739 R27/2019-20 में दिनांक-25.07.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | खेसरा सं० | रकवा(डी०) | चौहद्दी |
|--------|---------------|----------|-----------|-----------|--|
| बुण्डू | बुण्डू/28 | 279 | 2751 | 37 | उ०-प्लॉट नं०-2704, द०-प्लॉट नं०-2752, पू०-प्लॉट नं०-2669, प०-प्लॉट नं०-2750, |
| | | | 2752 | 73 | उ०-प्लॉट नं०-2751, द०-प्लॉट नं०-2753, पू०-प्लॉट नं०-2669, प०-प्लॉट नं०-2750, 2749, |
| | | | 2753 | 11 | उ०-प्लॉट नं०-2752, द०-प्लॉट नं०-2757, पू०-प्लॉट नं०-2748, प०-प्लॉट नं०-2754, |
| | | | 2754 | 8 | उ०-प्लॉट नं०-2752, द०-प्लॉट नं०-2755, पू०-प्लॉट नं०-2759, प०-प्लॉट नं०-2753, |
| | | | 2755 | 2 | उ०-प्लॉट नं०-2754, द०-प्लॉट नं०-2756, पू०-प्लॉट नं०-2753, प०-प्लॉट नं०-2759, |
| | | | 2756 | 11 | उ०-प्लॉट नं०-2755, द०-प्लॉट नं०-2760, पू०-प्लॉट नं०-2757, प०-प्लॉट नं०-2759, |
| | | | 2759 | 54 | उ०-प्लॉट नं०-2669, द०-प्लॉट नं०-2760, पू०-प्लॉट नं०-2669, प०-प्लॉट नं०-2756, 5554, |
| | | | 2760 | 22 | उ०-प्लॉट नं०-2759, द०-प्लॉट नं०-2761, पू०-प्लॉट नं०-2669, प०-प्लॉट नं०-2758, |
| | | | 2761 | 36 | उ०-प्लॉट नं०-2760, द०-प्लॉट नं०-2763, 2764, पू०-प्लॉट नं०-2762, 2765 प०-प्लॉट नं०-2758, 2757, |
| | | | 2763 | 5 | उ०-प्लॉट नं०-2761, द०-प्लॉट नं०-2764, पू०-प्लॉट नं०-2765, प०-प्लॉट नं०-2761, |
| | | | 2764 | 39 | उ०-प्लॉट नं०-2761, 2763, द०-प्लॉट नं०-2765, पू०-प्लॉट नं०-2765, प०-प्लॉट नं०-2781। |

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण

| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| | <p>मुकदमा सं०-739 R27/2019-20 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि के विक्रेता पंजी।। रैयत स्वयं है एवं अपने हिस्से तथा दखल-कब्जे की भूमि को बिक्री किया है। भूमि पर क्रेता का दखल है। आवेदित भूमि भूदान, भुहद्वंदी, वासगीत, सुरक्षित वन एवं गैरमजरूआ भूमि से बाहर है।</p> <p>अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का विस्तृत जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। सूचना देकर उभय पक्ष को सुना गया। आपत्तिकर्ता मो० हसन अंसारी वगैरह एवं उनके अधिवक्ता के द्वारा निबंधित केवाला पर आपत्ति किया गया है कि केवालाधारी उनके निजी हकदार है। भूमि पर उनका भी हक बनता है। आवेदकगण के द्वारा बताया गया कि उनकी माँ के जीवनकाल में ही सभी भाईयों को अलग-अलग भूमि बँटवारा में प्राप्त हुआ है एवं उसी अनुसार बिक्री से भूमि प्राप्त हुआ है। संबंधित निबंधित केवाला को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। इससे इतर अन्य तथ्यों पर विचारण से ऐसा लगता है कि आवेदक एवं आपत्तिकर्ता मो० इमाम अली के ही उत्तराधिकारी है। उभय पक्ष को मध्यस्थ से निर्णय लेने हेतु समय दिया जाना उचित प्रतीत होता है वर्तमान परिस्थिति में नामांतरण आवेदन स्वीकृत करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)। </p> <p style="text-align: center;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)। </p> | |